

229

न्यायालय श्री मान सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वलियर सार्किट  
कोर्ट रीवा जिला रीवा म0प्र0

R 5209 II / 16



R-301-

मेहियुददीन तनय स्व0 श्री मोइन खान उम्र 75 वर्ष निवासी गांताजली गैरिज  
हाल के पास घोघर रीवा तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0 ---निगरानीकर्ता  
बनाम

- 1- आम जनता मौजा करहिया मौजा नं0 1 तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0  
द्वारा कमला प्रसाद विश्वकर्मा तनय भागीरथी विश्वकर्मा
- 2- कामता प्रसाद विश्वकर्मा तनय रामावतार विश्वकर्मा
- दोनो निवासी ग्राम करहिया नं0 सी - 1 तहसील हुजूर जिला रीवा म0 प्र0
- 3- कपिल कुमार चौरसिया तनय श्री कृष्णकुमार चौरसिया निवासी गल्लामण्डी  
के पास अमहिया रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0----- गैरनिगरानीकर्ता

श्रीमान् उज्ज्वल  
द्वारा आज दिनांक 10-5-16  
प्रस्तुत किया गया  
श्री  
सिद्ध तिवारी  
सिद्ध  
सार्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश  
न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त  
महोदय, रीवा सम्भाग रीवा के प्रकरण  
क0 780 / अपील / 15-16 निर्णय  
दिनांक 13-04-16

निगरानी अन्तर्गत धारा 50  
म0प्र0भू0रा0सं0 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी का संक्षिप्त तथ्य निम्न है :-

- 1- यह कि निगरानीकर्ता की आराजी नं0 45,46,63,64, एवं 75 के  
अलावा अन्य भूमियां करहिया स्थित मौजा में है। जिसका रकवा लगभग 8.30  
ए0 है जिसमें कृषि कार्य किया जाता है इसी के साथ साथ आराजी नं0  
13/4,14,15,18,19,20,47,49,50,66,67 जो पुराना नं0 है जिसका नया नं0  
आराजी नं0 53 रकवा 0.397 हे0 स्थित ग्राम करहिया तह0 हुजूर जिला रीवा  
म0प्र0 में स्थिति है ।

*[Handwritten signature]*

मे ही उद्दीन खान

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०R.5209-II/16

जिला-रीवा

मोहियुद्दीन/आम जनता करहिया

(1)	(2)	(3)
22.08.17	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत।</li><li>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</li><li>3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</li><li>4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</li></ol> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	